

// कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद (छ.ग.) //

// आदेश //

क्रमांक./ 386 / अशास.मान्यता/अनुमति/2022

बालोद दिनांक 23/12/2022

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य कानून के नियम के उप-नियम (4) के तहत विद्यालय को अनुमति/मान्यता प्रमाण पत्र प्रबंध कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत कक्षा अनुमति/मान्यता नवीनीकरण आवेदन एवं तद् विषयक प्रस्तुत परिशिष्ट-1 साथ ही संलग्न प्रमाणों (स्टाफ विवरण, रक्षित निधि) घोषणा पत्र, उपलब्ध शाला भवन स्वतः/किरायानामा छात्र संख्या आदि के आधार पर विद्यालयों को वर्णित प्रावधान अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन शाला संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

स. क्र.	वि.खं. का नाम	प्रबंध समिति का नाम	संस्था का नाम	संकाय/विषय	माध्यम	कक्षा
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालोद	श्री जैन सेवा संस्थान बालोद	उरिहंत एकेडमी बालोद	जीव विज्ञान, गणित एवं चामरसी	अंग्रेजी (सी.बी.एस.ई.)	मर्सरी के बारहवी

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की अध्यक्षीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के लिए बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो उसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते की जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रिस्कूल) शिक्षा देता है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि.स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनायेगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
(क) आयु के सबूत के अभाव में,
(ख) यदि प्रवेश के लिए विहीत की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् प्रवेश चाहा गया है,
(ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
(एक) किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा,
(दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा,
(तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी,

(चार) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा,

(पाँच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार

(छः) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती जाएगी, बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के

प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(सात) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा।

(आठ) प्राइवेट शिक्षण गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

(नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो,

(दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किये अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।

10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

स्कूल परिसर का क्षेत्रफल-

89340.46 वर्गफिट

कुल निर्मित क्षेत्रफल-

13304.19 वर्गफिट

खेल मैदान का क्षेत्रफल-

32334.79 वर्गफिट

कक्षाओं के कमरों की संख्या-

17

प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय सह-स्टोर कक्ष-है -04

लड़के और लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन- 09+18

स्वच्छ पेयजल सुविधा है (फ्रीजर, वाटर फिल्टर सहित)

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर -

बाधा रहित प्रवेश की सुविधा -

11. पठन-पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता लेखे संपरीक्षित किये जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

12. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

13. सोसायटी/न्यास यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

14. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)